NCPEDP - Javed Abidi Fellowship on Disability

Supported by Azim Premji Foundation

Baseline Report

Amit Kumar

omamit.lawyer@gmail.com
Etah, Uttar Pradesh

Infrastructural Accessibility in Secondary and Intermediate Schools

(माध्यमिक और इंटरमीडिएट स्कूलों में बुनियादी ढांचे की पहुंच)

Table of Contents

1 Contextual Brief प्रासंगिक संक्षिप्त 3

2 शोध का क्षेत्र 7

3 शोध के उद्देश्य 8

4 शोध प्रक्रिया Research Methodology 9

5 प्राइमरी रिसर्च सेम्पल का विश्लेषण 10

6 प्राइमरी रिसर्च सेम्पल का विश्लेषण-: 16

7 केस स्टडी 1 16

8 केस स्टडी 2 18

9 केस स्टडी 3 19

10 केस स्टडी 4 20

11 स्कूलों को सुगम्य हेतु बजट संबंधि प्रावधान: 21

12 समग्र शिक्षा अभियान 22

13 परिणाम एवं संस्तुतियां (Findings and Recommendations) 24

14 सन्दर्भ सूची 28

1 Contextual Brief प्रासंगिक संक्षिप्त

वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 0 से 14 साल के विकलांग बच्चों की संख्या 9 करोड़ से लेकर 15 करोड़ के बीच है| इसी रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर विकलांग बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ने का अवसर नहीं मिल पाता है| अक्सर कई देशों में कुछ विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की व्यवस्था की जाती है, जिससे उन्हें विशेष स्कूलों में रखकर शिक्षा दी जाती है, लेकिन यह प्रक्रिया उन्हें उनके परिवार और समाज से काट देती है और यह समावेशी प्रक्रिया के विपरीत है. विशेष स्कूलों में पढने के बाद विकलांग बच्चे मुख्यधारा के समाज में शामिल होने में चुनौतियों का सामना करते हैं|

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, "विकलांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रत्येक देश की प्राथमिकता होनी चाहिए ."

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) भी विकलांग बच्चों को मुख्यधारा की समावेशी शिक्षा का हिस्सा बनने के अधिकार को इंगित करता है|

Box 7.1. The rights and frameworks

The human right of all people to education was first defined in the United Nations' Universal Declaration of Human Rights of 1948 and further elaborated in a range of international conventions, including the Convention on the Rights of the Child and more recently in the CRPD.

In 1994 the World Conference on Special Needs Education in Salamanca, Spain produced a statement and framework for action The Salamanca Declaration encouraged governments to design education systems that respond to diverse needs so that all students can have access to regular schools that accommodate them in child-centred pedagogy (*5*).

The Education for All Movement is a global movement to provide quality basic education for all children, youth and adults (*6*). Governments around the world have made a commitment to achieve, by 2015, the six EFA goals: expand early childhood care and education; provide free and compulsory education for all; promote learning and life skills for young people and adults; increase adult literacy by 50%; achieve gender parity by 2005, gender equality by 2015; and improve the quality of education (*6*).

In Article 24 the CRPD stresses the need for governments to ensure equal access to an "inclusive education system at all levels" and provide reasonable accommodation and individual support services to persons with disabilities to facilitate their education (*7*).

The Millennium Development Goal of universal primary completion stresses attracting children to school and ensuring their ability to thrive in a learning environment that allows every child to develop to the best of their abilities.

चित्र: World Report on Disability by WHO and the World Bank 2011

भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में विकलांग जनसंख्या कुल 2.68 करोड़ थी। इस विचर में, विकलांग बच्चों की विशेष संख्या उपलब्ध नहीं है। हालांकि, यदि आकलन किया जाये, तो देश में 0-14 वर्षीय बच्चों की कुल आंकड़ा 15.87 करोड़ था, जिनमें से लगभग 6% बच्चे विकलांग हो सकते हैं, तो उपयुक्त आंकड़ा यह है कि लगभग 0.95 करोड़ विकलांग बच्चे इस उम्र वर्ग में भारत में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए द्वारा शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 (आरटीई) और सर्व शिक्षा अभियान जैसी राष्ट्रीय स्तरीय नीतियों के माध्यम से सरकार और समाज ने स्कूली शिक्षा को बच्चों के लिए पहुँचाया है। इन नीतियों ने सभी बच्चों के लिए प्रमुख स्तरीय स्कूलों के दरवाजे खोल दिए हैं। विकलांग बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान" और "राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009" भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नीतियों के रूप में स्थापित हैं, लेकिन इनके प्रभावकारी क्रियान्वयन की उचितता एवं दिव्यांग बच्चों को समावेशित करने के लिए आवश्यक उपायों की अभिव्यक्ति की आवश्यकता है।

एटा जिला उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है और यहाँ की जनसँख्या में 2001 से 2011 तक 12.77% की वृद्धि दर्शाने के साथ भारत में 640 जिलों में 272 वें स्थान पर स्थित है। यहाँ का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों के लिए 863 महिलाएँ हैं और साक्षरता दर 73.27% है। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में भारत में कुल 374 जिलों को "शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा" घोषित किया गया है। इनमें से सबसे अधिक 41 जिले उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इस सूची में एक जिला भी शामिल है, जिसका नाम "एटा जिला" है, और यह भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा जिला माना गया है।

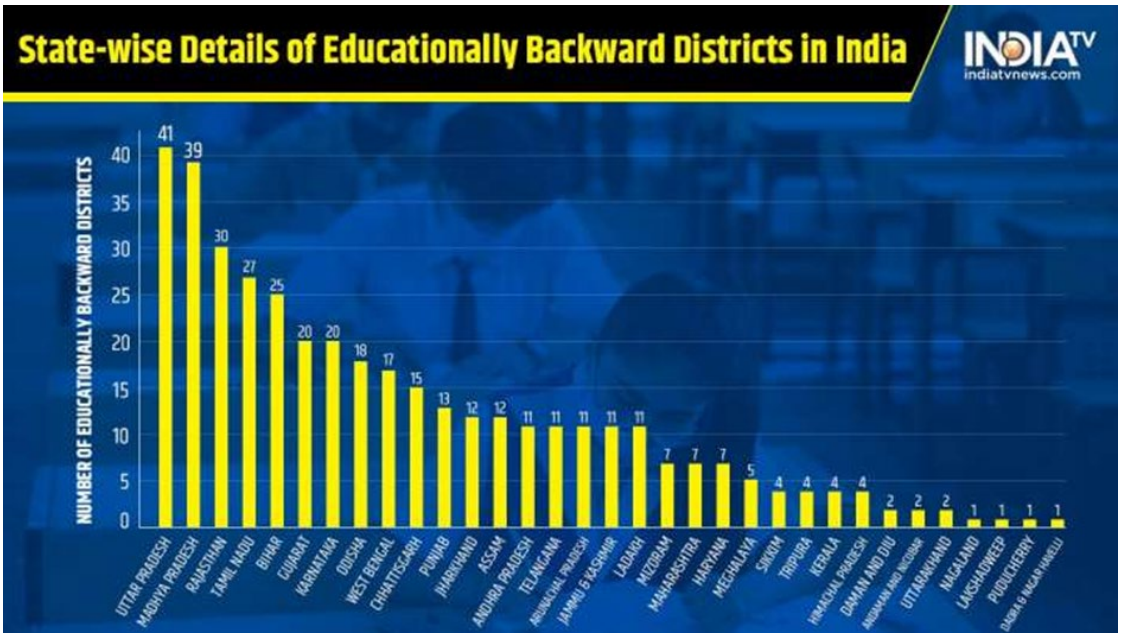

(Source: https://www.indiatvnews.com/education/news-list-of-educationally-backward-districts-in-india-education-ministry-up-bihar-mp-rajasthan-725987)

एटा जिले के शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ाने के प्रमुख कारणों में इसके पिछडेपन का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके अंतर्गत शिक्षा के प्रति उद्देश्यी जनसंख्या की शिक्षा के प्रति कम रुझान था। जिले की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर के करीब है, लेकिन शिक्षण संथाओं में नवाचार और मूलभूत सुविधाओं की कमी और प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं की बड़ती संख्या ऐसे कॉलेज ने ऐसे स्कूलों की संख्या में वृद्धि की है जिन्होंने नक़ल को एक व्यवसाय के तौर पर विकसित किया है. इससे नकल के जरिए ऐसे डिग्रीधारी बढ़ गए हैं, जो वास्तविक शिक्षा से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं ।

विकलांगों के लिए सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक समृद्धि: अपर्याप्य चुनौती और सुविधाएं:

शिक्षा के गिरते स्तर और पिछड़ने और धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं विकलांगों के प्रति एक प्रमुख प्रतिकूल दृष्टिकोण को भी पालता है। विकलांगता आज भी अकारण धारणाओं के माध्यम से दृष्टिगत की जाती है, और विकलांग व्यक्तियों को अक्सर समाज में अपमानित किया जाता है। एटा के गांवों में एक विकलांग व्यक्ति को सड़क पर मिलना कभी-कभी एक अशुभ संकेत के रूप में भी देखा जाता है। इस परिणामस्वरूप, अधिकांश विकलांग व्यक्तियां अपने घरों में ही सीमित रहती हैं। खेदजनक तौर पर, परिजनों के बीच कुछ ऐसे होते हैं जो विकलांग बच्चों को स्कूल में भर्ती करने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्कूल वातावरण और शिक्षक अक्सर बच्चे को नियमित उपस्थिति से निरस्त करते हैं।

इसलिए, इस प्रकार की समाज में कुशासनक दृष्टिकोण और संरचनात्मक बाधाओं का संयुक्त परिणाम होता है, जिससे एटा में विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा की संभावनाओं को सख्त प्रतिबंधित किया जाता है।

समावेशी शिक्षा आज भी विकलांग बच्चों के लिए सपने जैसी भावना बनी हुई है. आज भी तरह-तरह की रुकावटें उन्हें स्कुल पहुँचने ही नहीं देतीं. इसलिए उनकी स्कूली शिक्षा में भागीदारी बहुत कम है। इन रुकावटों में प्रमुख रूप से स्कूल पहुँचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुगम्यता की चुनौतियाँ हैं| और इनके बाद यदि विकलांग बच्चा स्कूल पहुँच भी जाए तो स्कूलों में तमाम रुकावटें उसे शिक्षा ग्रहण करने में शामिल नहीं होने देतीं| इनमें सबसे पहले तो स्कुल के प्रवेश द्वार की सुगम्यता में बाधा, स्कूल में विकलांग बच्चे की आधारभूत सुविधाएँ जैसे पानी, शौचालय और मध्याह्न भोजन क्षेत्र तक सुगम्य पहुँच नहीं हो पाती. इसके साथ साथ विकलांग बच्चे को कक्षा में शामिल होने के लिए अनुपयुक्त क्लासरूम फर्नीचर, कक्षा में विकलांग बच्चे के लिए अपर्याप्त एवं अनुपयुक्त स्थान के साथ साथ लर्निंग सामग्री का सुगम्य न होना, बच्चे को स्कुल पहुंचकर भी शिक्षा से दूर रखता है| विकलांग बच्चे के लिए इन सब आधारभूत सुविधाओं में सुगम्यता की कमी के अलावा स्कूल की डिजाइन भी एक बड़ी बाधा है, जैसे फिसलन भरा फर्श, कमरों में अपर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन की अनुपयुक्त व्यवस्था के साथ साथ खेल के मैदान भी विकलांग बच्चों के लिए सुगम्य नहीं हैं.

2 शोध का क्षेत्र

यह शोध उत्तर प्रदेश के एटा जिले के विकलांग बच्चों और परिजनों के माध्यम से स्कूलों में संरचनात्मक सुगम्यता में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है| इस शोध में हम समझने का प्रयास करेंगे कि सुगम्य भारत अभियान एवं विकलांग अधिकार अधनियम 2016 के प्रावधानों को स्कूलों में क्रियान्वित करने में क्या चुनौतियाँ हैं एवं क्या समाधान हो सकते हैं.

पिछले समय पर एटा का वास्तविक नाम "ऐंथा" था। यह उस समय था जब अवागढ़ के राजा जंगल में शिकार करने जा रहे थे, उन्होंने एक लोमड़ी को देखा जो 2 कुत्तों की पीछा कर रही थी, इसी कारण उन्होंने इस स्थान का नाम "ऐंथा" रखा था, जब समय बीता तो यह "एटा" बन गया। यह बहुत सुंदर शहर है और इसका गुरुकुल विद्यालय विश्व प्रसिद्ध है और इसके पास कुछ रोमांचक स्थान हैं। एक ऐतिहासिक किला है जो अवागढ़ के राजा ने बनवाया था, अवागढ़ एटा से 24 किलोमीटर दूर है और एक ऐतिहासिक मंदिर केलाश मंदिर है।

- जिला एटा राज्य में जनसंख्या के मामले में 55वें स्थान पर आता है।
- जिले में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 15.1 प्रतिशत है जबकि राज्य के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिशत 22.3 प्रतिशत है।
- एटा जिला लिंगानुपात (873) के मामले में 56वें स्थान पर आता है, जो राज्य की औसत से कम है जो 912 महिलाओं प्रति हजार पुरुषों है।
- एटा जिला साक्षरता में 70.8 प्रतिशत के साथ 28वें स्थान पर है, जो राज्य की औसत 67.7 प्रतिशत से अधिक है।
- जिले की दशकीय वृद्धि दर 15.9 प्रतिशत है जो राज्य की औसत 20.2 प्रतिशत से कम है।

यह शोध एक प्रयास है जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में विकलांग बच्चों और उनके परिजनों के माध्यम से स्कूलों में सरंचनात्मक सुगम्यता की बाधाओं का अध्ययन करने का प्रयास करता है। इस अध्ययन के माध्यम से, हम 'सुगम्य भारत अभियान' एवं 'विकलांग अधिकार अधिनियम 2016' के प्रावधानों को स्कूली वातावरण में कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है और किन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, उनका अध्ययन करने का प्रयास किया जाएगा।

3 शोध के उद्देश्य

यह शोध एक वैज्ञानिक अध्ययन का प्रयास है जिसका उद्देश्य एटा जिले के शहरी स्कूलों में आधारभूत संरचनात्मक सुगम्यता की अध्ययन करना और सुगम्यता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुझावों को प्रस्तुत करना है। इस अध्ययन के माध्यम से, हम एटा जिले के शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ संपर्क साधकर उनकी जागरूकता का स्तर देखना चाहते हैं | ताकि हम मूल समस्या के निराकरण की दिशा में योजना बना सकें। इस अध्ययन के द्वारा, हम विकलांग बच्चों और उनके परिजनों के साथ संवाद करने का प्रयास करेंगे ताकि हम उनकी समस्याओं और सुगम्यता की कमियों को पहचान सकें। साथ ही, इस अध्ययन के दौरान, एटा जिले में विकलांगता के क्षेत्र में संरचनाएँ काम करने वाली संस्थाएँ, सरकारी तंत्र में शामिल व्यक्तियों जैसे विकलांग कल्याण अधिकारी और विकलांगता के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क करने का उद्देश्य है, ताकि भविष्य में सुगम्यता हेतु सहयोग के लिए उपयुक्त रास्ते तय किए जा सकें।

शोध के उद्देश्य -:

1. एटा जिले के शहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों तथा विकलांग छात्रों की संख्यात्मक आंकड़ों का आधारित अध्ययन करके, जिले के स्कूलों की सुगम्यता की वर्तमान स्थिति का निरूपण करना। इसमें समाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य समेत शिक्षा संरचना के प्रति छात्रों के अभिभावकों की जागरूकता और उनकी भागीदारी भी शामिल होगी।
2. जिले की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रमुख घटकों जैसे शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षकों एवं विकलांग छात्रों और उनके परिजनों की 'सुगम्यता' और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जागरूकता और विवेकपूर्ण निरीक्षण करने का प्रयास। इसमें शिक्षा संस्थानों के शिक्षाओं के प्रभाव और उनकी सुगम्यता को महसूस करने की कठिनाईयों का आकलन भी शामिल होगा।
3. चयनित स्कूलों की सुगम्य भारत अभियान की दिशा-निर्देशिका के अनुसार, आधारित संरचना की सुगम्यता की जाँच (Accessibility Audit) प्रक्रिया के माध्यम से सुगम्यता के स्तर का मूल्यांकन करना। इसमें विभिन्न स्तरों पर सुगम्यता के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने का प्रयास शामिल होगा।

4. सुगम्यता में अवस्थित बाधाओं और कमियों के कारण विकलांग छात्रों के शिक्षा पर पड़ने वाले असर का आकलन करने का प्रयास। इसमें विकलांग छात्रों के शिक्षा के लिए सुगम्यता में सुधार के उपायों और नीतियों का विचार भी शामिल होगा।
5. विकलांगता पर कार्यरत संस्थाओं, सरकारी अधिकारियों और व्यक्तियों से मिलकर उनकी समझ और सुगम्यता हेतु सुझाव एकत्र करने का प्रयास। इसमें सुगम्यता के स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न कार्रवाईयों और नीतियों का विचार भी शामिल होगा।

4 शोध प्रक्रिया Research Methodology

इस अध्ययन में, शोधकर्ता ने स्नोबॉल सैम्प्लिंग का उपयोग किया था। इस विशेष विधि के माध्यम से, विकलांग बच्चों और उनके परिजनों के विचारों और अनुभवों को संग्रहित किया गया, जिससे उनके शिक्षा के एकीकरण के लिए शिक्षा संस्थानों की सामग्री और ढांचे की वास्तविक उपलब्धता को समझा जा सके । शोध के परिणामस्वरूप, स्कूलों के ढांचे और सामग्री का आकलन किया गया और यह बहुत ही गहनता से देखा गया कि 'विकलांग अधिकार अधिनियम 2016' के प्रावधानों का सही पालन किया जा रहा है या नहीं। शोध की प्रक्रिया प्रमुख रूप से दो प्रकार की रखने की कोशिश की गयी है- संख्यात्मक प्रक्रिया एवं गुणात्मक प्रक्रिया. संख्यात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वे टूल के माध्यम से डाटा एकत्र किया गया, वहीं गुणात्मक प्रक्रिया में साक्षात्कार, सामूहिक चर्चा एवं क्षेत्र भ्रमण का उपयोग किया गया.

रिसर्च एटा जिले के शिक्षा से जुड़े स्टेक होल्डर्स एवं विकलांग बच्चे और उनके परिजनों के साथ किया गया है| रिसर्च की मेथडोलोजी, गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों रुपों में रही है| जहाँ एक तरफ संख्यात्मक डेटा संग्रहण किया गया, जैसे शिक्षण संस्थानों की संख्या, उनमें पढने वाले छात्र एवं विकलांग छात्रों की संख्या, स्कूली शिक्षा से बाहर विकलांग छात्रों की संख्या सहित शिक्षण संस्थाओं के आधारभूत सुविधाओं में सुगम्यता का संख्यात्मक डेटा संगृहीत किया गया| संख्यात्मक डेटा संग्रहण के लिए 'सर्वे' टूल का उपयोग किया गया| इस सर्वे के लिए एक प्रश्नावली तैयार कर 'स्नो-बॉल' सेम्पलिंग पद्धति से सर्वे के जरिए डेटा जुटाया गया|

संख्यात्मक पद्धति के साथ साथ इस रिसर्च में गुणात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया गया है, जैसे शिक्षण संस्थाओं का संख्यात्मक डेटा एकत्र करने के बाद शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों की चुनौतियों और नजरिये को समझने के लिए 'साक्षात्कार' टूल का प्रयोग किया गया| जिसमें स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों से गुणात्मक सवाल पूछे गये| सभी प्रकार की पद्धतियों पर विचार करने के बाद 'स्नो-बॉल' सेम्पलिंग पद्धति प्रयोग का प्रयोग किया गया क्योंकि अन्य प्रकार की सेम्पलिंग के लिए पर्याप्त आवश्यक डेटा उपलब्ध नहीं था| इसलिए शिक्षकों के एवं विधालयों के माध्यम से विकलांग बच्चों का तक पहुँच संभव हो सकी और उनके महत्वपूर्ण विचार एवं अनुभव को संकलित किया गया | विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं एवं मित्रों के माध्यम से विकलांग बच्चों के परिजनों से मिलकर उनके अनुभवों के संकलित किया गया| कई बार विकलांग बच्चों और उनके परिजनों के जरिए दूसरे विकलांग बच्चों का रिफरेन्स मिला और उनसे सर्वे फॉर्म भरवाया गया एवं परिजनों के साथ साक्षात्कार माध्यम से डेटा एकत्र किया गया| इस प्रक्रिया में अधिक समय लग गया, लगभग तीन माह में सर्वे कंडक्ट किया गया| जिससे इस रिपोर्ट को तैयार करने में एवं उन अनुभवों को सुनकर एवं उनको लिपिबद्ध करने में अधिक समय एवं संसाधनों का निवेश करना पड़ा|

उत्तरदाताओं की सहमति:

सर्वे करने के लिए प्रश्नावली को प्रिंटेड फॉर्म में प्रयोग किया गया, बाद में डेटा को एक्सेल शीट पर विश्लेषण के लिए प्रयोग किया गया । उत्तरदाताओं के सहमति पत्र का उपयोग करते समय उनकी निजता और संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए, पद की गोपनीयता और काल्पनिक नामों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, उत्तरदाताओं से पूर्व सहमति प्राप्त करने के लिए संरचित और व्यावसायिक उपायों का पालन किया गया है।

5 प्राइमरी रिसर्च सेम्पल का विश्लेषण

इस भाग में हम एटा जिले के शिक्षा विभाग से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करेंगे. इस रिसर्च के संदर्भ में शिक्षा विभाग से एटा जिले में स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले विकलांग बच्चों का डेटा एकत्र करने की कोशिश की| डेटा एकत्र करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा| पहली चुनौती तो ये रही कि विभाग के पास विकलांग बच्चों से संबंधित किसी भी प्रारूप पर सेंट्रालाइज डेटा उपलब्ध नहीं है| इसके लिए डेटा अलग अलग सोर्स से लिया गया | जिसमें समर्थ पोर्टल, स्कूल रजिस्टर और विभाग के मासिक डेटा संग्रह रजिस्टरों की मदद ली गयी| दूसरी चुनौती शिक्षा के कर्मचारियों और अहिकारियों की

डेटा साझा करने में झिझक थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई उनके खिलाफ करवाई की साजिश के तहत डेटा मांग रहा है| इसके लिए उनसे रेपो बिल्डिंग करने में ज्यादा समय देना पड़ा, साथ ही उन्हें अपने रिसर्च और संस्था के कार्यों से निरंतर अवगत कराया गया|

1	एटा में प्राथमिक विद्यालय	2315
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	1322
3	हाई स्कूल	671
4	इंटर कॉलेज	175

Source: https://etah.nic.in/about-district/

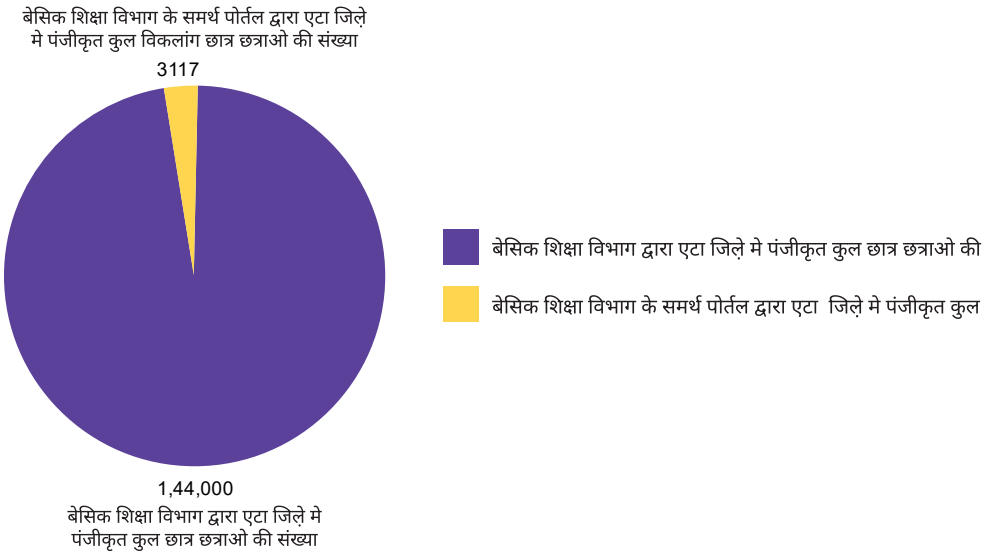

एटा में सरकारी स्कूलों की संख्या के सापेक्ष स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चों की संख्या-:

शिक्षा विभाग के समर्थ पोर्टल के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में कुल 3117 विकलांग बच्चे रजिस्टर्ड हैं, एटा के नगरीय क्षेत्र में 12 प्राथमिक एवं 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इनमें कुल 31 विकलांग बच्चे पंजीकृत हैं| वहीँ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यलय से मिली जानकारी के अनुसार जिले के हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में जिले में कुल 62 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 23 लडकियाँ एवं 39 लड़के शामिल हैं| इससे स्पष्ट कि विकलांग बच्चों का पर्याप्त रजिस्ट्रेशन स्कूलों में नहीं है, वहीँ प्राथमिक शिक्षा में शामिल होने वाले विकलांग बच्चों की संख्या जितनी है उच्चा शिक्षा में आते वह संख्या प्राथमिक संख्या की 1 % भी नहीं बचती| इससे यह भी स्पष्ट है कि जिले के कुल विकलांग बच्चों में से 1% बच्चे भी स्कूलों में नहीं हैं| यह संख्या सरकारी स्कूलों की है, शिक्षा विभाग के पास प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का का डेटा साझा नहीं किया गया| स्कूल जाने वाले बच्चों के स्कूल में न पहुँचने में कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 'बच्चों की विकलांगता का शुरुआती समय में ही चिन्हीकरण न हो पाना,

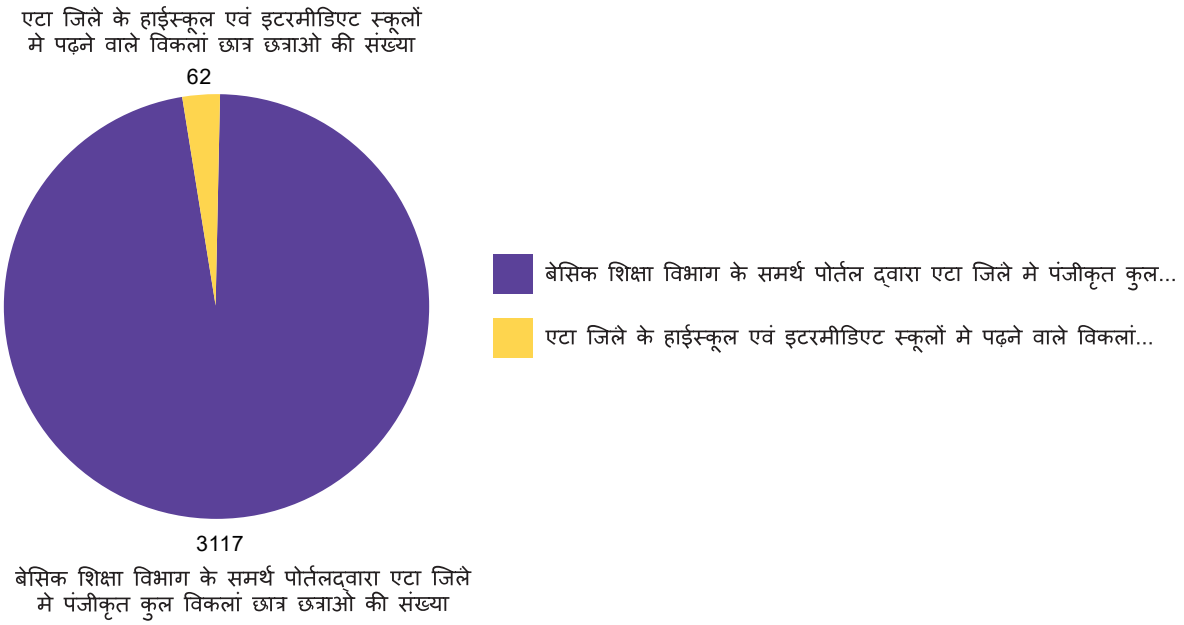

परिजनों की जागरूकता और सोच में कमी, स्कूलों द्वारा स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत विकलांग बच्चों के घरों में विजिट न करना, स्कूल द्वारा प्रयासों में कमी इत्यादि के साथ साथ स्कूल में सुगम्य संरचना और स्कूली हितधारकों का व्यव्हार मुख्य रूप से सामने आये है|

अगर अब हम प्रदेश स्तर पर स्कूलों और उनमें सुगम्य सरंचना की बात करें तो सीमित उपलब्ध डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 256911 स्कूल हैं, जो भारत के कुल स्कूलों की संख्या का लगभग 17.2% है. इन स्कूलों में से 1 लाख 45 हजार 193 अथवा लगभग 56% स्कूल या तो सरकारी है या अर्थ सरकारी हैं[1]| अगर प्रदेश के स्कूलों के उपलब्ध सुगम्यता के डेटा की बात करें तो इन स्कूलों में से कुल 21724 लगभग 14.96% स्कूल ऐसे हैं, जिनमें विकलांग बच्चों के लिए सुगम्य शौचालय मौजूद हैं| उनमें से भी सिर्फ 20,235 शौचालय सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं| जो सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों का 13.93% है[2]| **वही यदि हम रैम्प की उपलब्धता की बात करें,** तो उत्तर प्रदेश में कुल 162603 स्कूलों में रैम्प हैं, जो कि कुल स्कूलों का लगभग 63.29% फीसदी है. उनमे से कितने रैम्प मानकों के अनुरूप बनाए गये हैं इसका एक मानक रैम्प पर हेंड रेल्स देखने तो सिर्फ 114645 स्कूलों के रैम्पों पर हेंड रेल्स लगा हुआ है, जो कि कुल स्कूलों का लगभग 44.62% है. यानी प्रदेश के आधे से अधिक स्कूलों में हेंड रेल्स के साथ रैम्प मौजूद नहीं हैं[3],

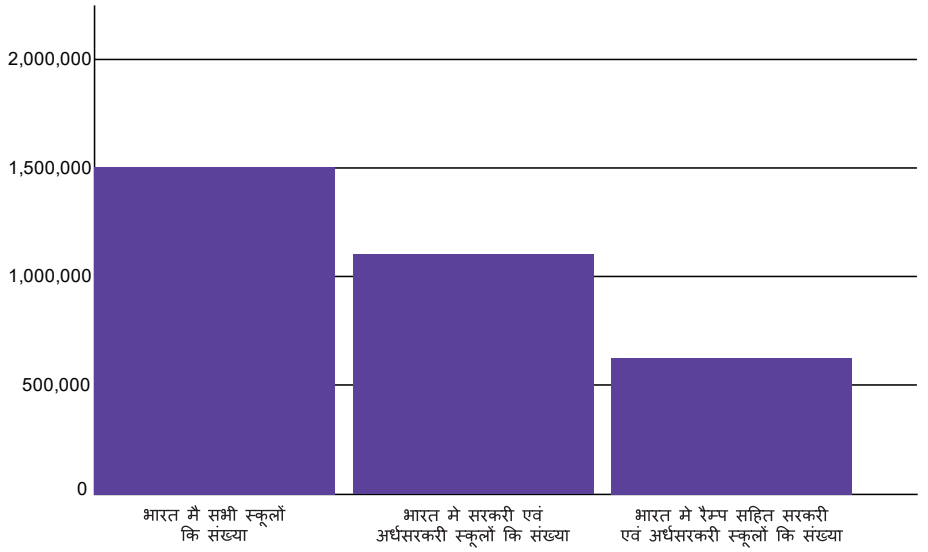

Source: UDISE 2021-2

[1] https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/reportDashboard/sReport (2020-2021)

[2] https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/reportDashboard/sReport (2020-2021)

[3] https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/reportDashboard/sReport (2020-2021)

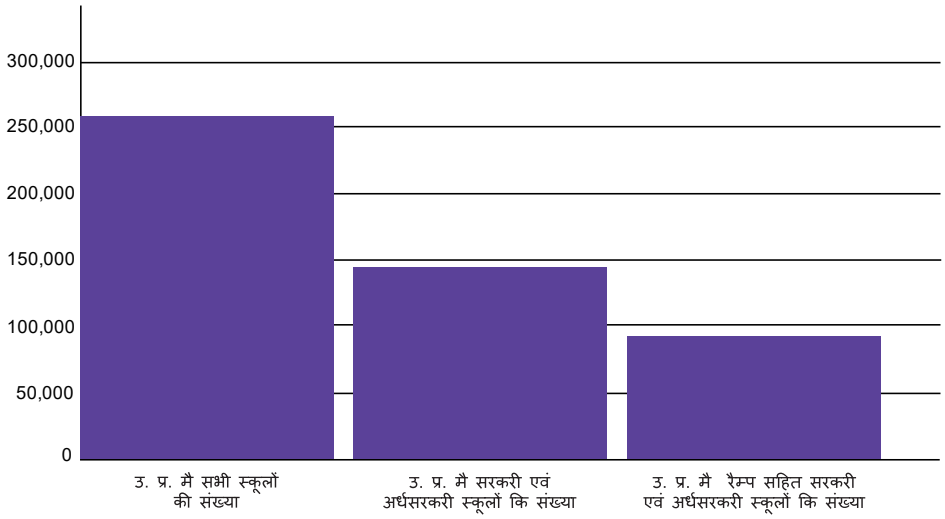

Source: UDISE 2021-22

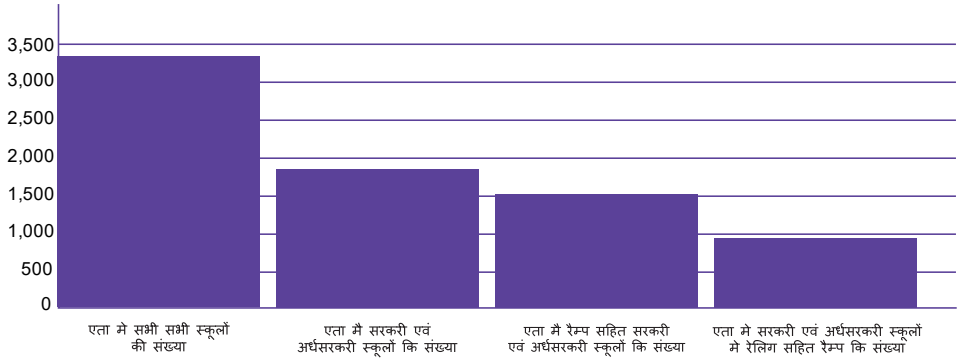

Source: UDISE 2021-22

जिले में कुल 3329 स्कूल है, जो प्रदेश के कुल स्कूलों के 1.29% फीसदी हैं| इनमें से अगर हम सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों की बात करें तो यह संख्या 1818 रह जाती है| एटा के सरकारी व अर्ध सरकारी स्कूलों में विकलांग लोगों के लिए सुगम्य शौचालय का डाटा उपलब्ध नहीं है| यदि हम एटा जिले के विद्यालयों में रेंप की बात करें तो 1818 स्कूलों में से कुल 1508 स्कूल में ही रैंप मौजूद है जबकि 905 स्कूल ही ऐसे हैं जिनमें रैंप हेंडरेल्स के साथ मौजूद है| यानी सरकारी डेटा के अनुसार ही एटा में भी 50 फीसदी से कम सरकारी स्कूलों में हेंड रेल्स के साथ रैम्पस बने हुए हैं[4]| स्कूल विजिट

[4] https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/reportDashboard/sReport (2020-2021)

के दौरान स्कूलों में ऐसे रेम्प मिले जो सहयोगी होने की बजाय जोखिम थे | स्कूलों में रैम्प के नाम पर एक ढलान बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देने वाले निर्माण कर्ताओं एवं शैक्षिक हित धारकों को रैम्प बनाने के मानकों की जानकारी नहीं है| फील्ड विजिट के दौरान एटा के स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए सुगम्य शौचालयों की संख्या बहुत ही कम दिखी| कई जगहों पर सुगम्य शौचालय के नाम पर सिर्फ वेस्टर्न टॉयलेट शीट रखी मिली, लेकिन उस टॉयलेट तक पहुँचने के लिए 4-5 सीढ़ियों को चढने की चुनौती सामने आई|

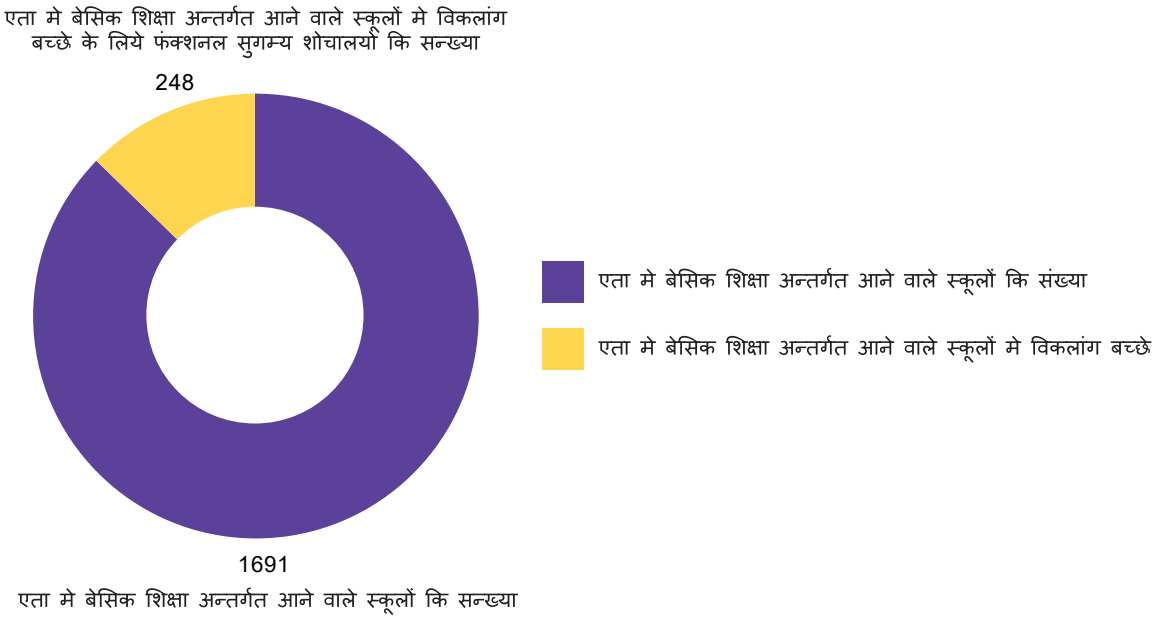

6 प्राइमरी रिसर्च सेम्पल का विश्लेषण-:

उत्तरदाताओं लिंग बार एवं पदवार संख्या

इस शोध में कुल 42 लोगों ने प्रतिभाग लिया| जिनमें 32 पुरुष, 10 महिलाए शामिल रहे| इनमें से 9-17 साल की उम्र सीमा के विकलांग बालक-बालिकाएं तथा 30-60 वर्ष की उम्र सीमा के वयस्क शामिल रहे| इनमें स्कूली शिक्षक, विशेष शिक्षक, प्रधानाचार्य, विकलांग बच्चों के परिजन एवं जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे.

7 केस स्टडी 1

नाम- बेवी गुप्ता, उम्र - 10 साल, विकलांगता - मेंटल रेटरडेशन:

बेबी के पिता गौरव गुप्ता एक ई-रिक्शा चालक हैं, माता मीनेश गुप्ता हैं, बेबी एटा के महाराणा प्रताप नगर में रहती है|

बेबी के बारे में मुझे एक वर्कशॉप के दौरान स्पेशल एजुकेटर के द्वारा बताया गया था| जब मैं बेबी के घर पहुंचा तब वह अपनी मां वह छोटी बहन के साथ थी और उनका परिवार मकान के कमरे में किराए

पर रहता है| जब मैंने बेबी की विकलांगता के बारे में उनकी मां से पूछा तो उन्होंने बताया, कि वह दिमागी रूप से कमजोर है| मेरे द्वारा विकलांग सर्टिफिकेट मांगे जाने पर उन्होंने यूडी आईडी कार्ड दिया जिसमें विकलांगता मेंटल रेटरडेशन थी| उनके पास विकलांग प्रमाण पत्र नहीं था. लेकिन जब मैंने बेबी से बात करने की कोशिश की तो यह प्रतीत हो रहा था, कि वह मेंटली रिटारडेड नहीं बल्कि सेरेब्रल पाल्सी नामक विकलांगता से पीड़ित है मेरे द्वारा बेबी की शिक्षा के बारे में पूछे जाने पर देवी की मां ने मुझे बताया, की उन्होंने शुरुआत में ग्रीन वैली नामक स्कूल में एडमिशन करवाने की कोशिश की| जो कि उनके घर के नजदीक है लेकिन स्कूल ने बेबी को उसकी विकलांगता के कारण एडमिशन देने से मना कर दिया। बाद में नव्या इंटरनेशनल स्कूल ने एडमिशन दिया, बेबी अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल पढ़ने जाती है. बेबी की मां ने बताया की शुरुआत में बेबी की क्लास ग्राउंड फ्लोर पर लगती थी. बाद में जब बेबी क्लास फर्स्ट में आई तो बेबी की क्लास प्रथम तल पर लगने लगी जहां पर बेबी को गोद में उठाकर ले जाना मुश्किल होता है. और जब भी देवी को वॉशरूम जाना होता है तब स्कूल से फोन आता है और तब माँ बेबी के स्कूल में उसे वॉशरूम लेकर जाती हैं. अब जैसे-जैसे बेबी बड़ी होती जा रही है. वैसे वैसे उसका स्कूल जाना कम होता जा रहा है, क्योंकि उसको गोद में उठाकर स्कूल तक ले जाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए अब मैं उसे कभी-कभी ही स्कूल भेजती हूं|

इस केस स्टडी को करने के बाद मुझे यह समझ आया की सही विकलांगता को पहचानना कितना जरूरी है| बेबी की माँ भी उसको मानसिक रूप से कमजोर ही समझती है, लेकिन जो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं| उनमें मानसिक विकलांगता नहीं होती| वह सभी चीजों को समझते हैं, सोचते हैं, और अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस करते हैं| और एक चीज जो बहुत आवश्यक है की माता-पिता बच्चे की विकलांगता के कारण यह समझते हैं कि हम उसको नहीं पढ़ा सकते| वह विकलांग बच्चों के शिक्षा के अधिकारों से अनभिज्ञ रहते हैं, साथ ही साथ स्कूल प्रशासन भी विकलांग बच्चों के प्रति शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं जानता है| न ही समझने की कोशिश करता है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि विकलांग छात्र-छात्राएं एवं उनके माता-पिता विकलांग बच्चों की शिक्षा के प्रति उनके अधिकारों को जानने के साथ ही साथ स्कूल प्रशासन स्कूल प्रिंसिपल भी विकलांग बच्चों की शिक्षा के प्रति विकलांग अधिनियम के द्वारा निर्गत अपने दायित्वों को समझें| और उनका पूर्ण रूप से पालन करें तभी विकलांग छात्र-छात्राओं तक शिक्षा की पहुंच संभव है.

8 केस स्टडी 2

नाम - रश्मि कुमारी, उम्र 18 वर्ष, विकलांगता- सेरेब्रल पाल्सी 40%

रश्मि के पिता भूप सिंह कपड़े की सिलाई का काम घर से ही करते हैं और माता जयंती देवी घर का काम करती हैं| रश्मि की देखभाल भी वही करती हैं, रश्मि के विकलांग सर्टिफिकेट पर रश्मि की विकलांगता का प्रतिशत 40% लिखा हुआ है, परंतु रश्मि खुद से चल पाने अथवा अपनी शौच जाने के लिए भी अपनी मां पर निर्भर है| रश्मि की मां ही उसे गोद मैं लेकर हम से मिलाने के लिए बैठक में लेकर आई| मेरे द्वारा परिवार के बारे में पूछे जाने पर रश्मि की मां ने बताया कि उसकी दो बहने और हैं| उनकी शादी हो गई है अथवा एक भाई है, जिस की भी शादी हो गई है| लेकिन रश्मि की देखभाल रश्मि के माता पिता ही करते हैं|

शिक्षा के बारे में पूछे जाने पर रश्मि की मां ने कहा कि वह कभी स्कूल नहीं गई| जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा वह स्कूल कैसे जाएगी उसको रोज स्कूल तक गोद में ले जाना संभव नहीं है| और स्कूल में भी रश्मि को कठिनाई होगी जब मैंने पूछा कि रश्मि को कभी कोई भी व्हील चेयर या ट्राई साइकिल मिली है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी उपकरण रश्मि को कभी भी सरकार के द्वारा नहीं मिला| जब मैंने पेंशन का पूछा क्योंकि रश्मि 18 वर्ष की हो चुकी है, तो उन्होंने कहा रश्मि की पेंशन भी नहीं है. रश्मि की मा ने रश्मि के भविष्य की चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमारे बाद इसका कौन सहारा होगा.? कौन इसकी देखरेख करेगा यह बताते हुए रश्मि की मां की आंखें भर आई और रश्मि भी रोने लगी.

9 केस स्टडी 3

नाम - आशुतोष, उम्र - 21 वर्ष, विकलांगता- मस्कुलर डिस्ट्रॉफी |

आशुतोष मुझे सड़क पर अपनी ट्राई साइकिल से खिलौने व पिचकारी बेचते हुए मिला, उससे बात करने के बाद मैं श्रंगार नगर निधौली रोड स्थित उसके घर उससे मिलने 8 मार्च 2022 को गया| वहां मैं आशुतोष के पिता सूरजपाल वर्मा जो कि एक बेरोजगार हैं और आशुतोष की मां सोनी वर्मा जो की आंगनवाड़ी में सहायिका का काम करती हैं उनसे मिला.

मेरे द्वारा आशुतोष की शिक्षा के बारे में पूछे जाने पर उसके पिता ने मुझे बताया, कि आशुतोष पास के ही प्राइमरी स्कूल में स्कूल जाता था| वह सिर्फ पांचवी क्लास तक की स्कूल गया जिसके बाद स्कूल जाना आशुतोष ने बंद कर दिया| कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया, कि आशुतोष को वॉशरूम यूज करने में दिक्कत होती थी और जब वह बड़ा हो रहा था, तो फिर उसको बच्चों के सामने वॉशरूम जाने में दिक्कत और शर्म आती थी| इसलिए आशुतोष ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी| अभी आशुतोष अपनी ट्राई साइकिल पर घूम-घूम कर खिलौने बेचता है, और घर चलाने में परिवार की मदद करता है| आशुतोष की मां ने कहा कि आशुतोष को विकलांगता तो है लेकिन फिर भी वह घर को चलाने में हमारी मदद करता है. हमारा एक होनहार बेटा है| आशुतोष को अशिक्षा के कारण छोटे मोटे रोजगार से ही गुजारा करना पड़ रहा है. आशुतोष कहता है कि मेरे स्कूल में रैम्प नहीं था और आज भी नहीं है. उस समय मेरा मजाक बनाया जाता था| इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया| यहाँ तक कि शिक्षक भी मजाक बनाते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हें कोई दुर्लभ बीमारी है, तुम तो बहुत ज्यादा समय तक नहीं जियोगे, फिर क्या करोगे पढ़ लिख कर| आज मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और मैं मेहनत करके अपना स्वरोजगार करते हुए घर चला रहा हूँ| अगर मैं अच्छा पढ़ा होता तो कहीं बेहतर नौकरी करता या अपना धंधा बढाता|

10 केस स्टडी 4

नाम - बृजमोहन, विकलांगता- लोकोमोटर, 80%, उम्र 28 वर्ष |

मुझे उनके बारे में मेरे एक मित्र द्वारा बताया गया था, जब मैं बृजमोहन के घर पहुंचा तो मैंने बृजमोहन को एक खाट पर लेटा हुआ पाया| वह एक किराए के कमरे में रहते हैं, तथा कमरे में ताला लगा हुआ था| बृजमोहन कमरे के बाहर खाट पर अकेले लेटे लेटा हुआ था|

बृजमोहन के कपड़ों में ही पेशाब कर लेने के कारण उसके पास से अत्यंत दुर्गंध आ रही थी| पड़ोसियों से उसके माता-पिता के बारे में जानने पर पता चला, कि वे दोनों मजदूरी करने बाहर गए हुए हैं, जिसके बाद मैं वहां से चला आया | फोन पर मेरी बात बृजमोहन के पिता राजपाल सिंह अथवा उनकी माता सूरजमुखी से हुई. बृजमोहन के पिता ने मुझे बताया की बृजमोहन कभी स्कूल नहीं गया है| उसकी विकलांगता अत्यधिक गंभीर है, जिसके कारण वह कभी स्कूल नहीं जा पाया| उसके पिता ने परिवार की आर्थिक स्थिति का भी हवाला देते हुए कहा, कि हम ब्रजमोहन को स्कूल भेजने लायक भी नहीं है तो हम कैसे भेजें मेरे पूछे जाने पर कि क्या कभी सरकार के द्वारा बृजमोहन को कोई आर्थिक मदद अथवा पेंशन की सुविधा दी गई है| ब्रजमोहन की मां ने मुझसे कहा कि कभी भी ब्रजमोहन को कोई भी आर्थिक मदद सरकार की तरफ से नहीं मिली है| अथवा बृजमोहन की कोई पेंशन भी नहीं है बृजमोहन के माता-पिता को यह जानकारी भी नहीं थी| 18 वर्ष से अधिक उम्र के विकलांग जनों को सरकार द्वारा ₹500 प्रति महीना आर्थिक मदद पेंशन के रूप में की जाती है, जो हाल ही में ₹1000 प्रति माह कर दी गई है| बृजमोहन की विकलांगता इतनी गंभीर है, कि बृजमोहन बिना अपनी मां की सहायता के न तो खा सकता है और ना ही बैठ सकता है| ऐसे गंभीर विकलांग लोगों के लिए शिक्षा पाना आज भी चुनौतीपूर्ण है| इसके लिए सरकार को अत्यंत ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

11 स्कूलों को सुगम्य हेतु बजट संबंधि प्रावधान:

उत्तर प्रदेश सरकार की "ऑपरेशन कायाकल्प" पहल सतह पर आशाजनक लग सकती है, जिसमें सरकार द्वारा संचालित स्कूलों की स्थिति में सुधार करने की बड़ी योजना है। हालाँकि, करीब से देखने पर विकलांगों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में गंभीर प्रयासों की कमी का पता चलता है। हालांकि यह उल्लेख किया गया है कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2023 तक इन सभी स्कूलों में विकलांग-अनुकूल शौचालय उपलब्ध कराना है, लेकिन यह चौंकाने वाली बात है कि वर्तमान में 87,610 स्कूलों में ऐसी सुविधाओं का अभाव है। इसके अलावा, इस मुद्दे को संबोधित करने की जिम्मेदारी कई स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों को सौंपी गई है, जिससे संभावित रूप से नौकरशाही में देरी और अक्षमताएं हो सकती हैं। संगमरमर और टाइल वाले फर्श, चित्रित छत और कक्षाओं में नए फर्नीचर जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार पर सरकार का ध्यान सराहनीय है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह विकलांग छात्रों के लिए आवश्यक पहुंच सुविधाओं पर सौंदर्यशास्त्र को प्राथमिकता देता है। इस मुद्दे को संबोधित करने में तात्कालिकता की कमी स्पष्ट है, क्योंकि निर्माण कार्य जारी रहने के दौरान विकलांग छात्रों को समायोजित करने के लिए अंतरिम उपायों का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक और तकनीक-आधारित शिक्षण विधियों के मिश्रण के माध्यम से छात्र नामांकन बढ़ाने पर सरकार का जोर सराहनीय है, लेकिन इसे विकलांग-अनुकूल सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। एक महत्वपूर्ण विकलांग आबादी वाले देश में, शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार के "ऑपरेशन कायाकल्प" का मूल्यांकन न केवल संगमरमर के फर्श वाली कक्षाओं की संख्या से किया जाना चाहिए, बल्कि विकलांग छात्रों को प्रदान की जाने वाली समावेशिता से भी किया जाना चाहिए[5]। यह जरूरी है कि सरकार अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करे और विकलांगों सहित सभी के लिए सुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए वास्तविक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करे।

2023-24 में शिक्षा मंत्रालय को 1,12,899 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह 2022-23 के संशोधित अनुमान से 13% की वृद्धि है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को 68,805 करोड़ रुपये (मंत्रालय के व्यय का 61%) आवंटित किया गया है। यह 2022-23 के संशोधित अनुमान से 16.5% की वृद्धि है। उच्च शिक्षा विभाग को 44,095 करोड़ रुपये (मंत्रालय के व्यय का 39%) आवंटित किया गया है,

[5] *See Sandeep Kumar report on https://www.hindustantimes.com/cities/lucknow-news/disabledfriendly-toilets-in-87-610-u-p-govt-primary-schools-soon-101653754671098.html*

जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 8% अधिक है[6]। 2013-14 के बाद से, शिक्षा मंत्रालय का आवंटन 4.7% की वार्षिक औसत दर से बढ़ा है। 2020-21 और 2021-22 में मंत्रालय के खर्च में गिरावट आई, जो कि COVID-19 महामारी के कारण हो सकता है।

12 समग्र शिक्षा अभियान

समग्र शिक्षा अभियान स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख योजना है, और एनईपी में परिकल्पित स्कूली शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसमें सम्मिलित किया गया (i) सर्व शिक्षा अभियान, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना था; (ii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसका लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाना था, और (iii) शिक्षक शिक्षा पहल, जिसका उद्देश्य शिक्षकों की योग्यता में सुधार करना और उसे बनाए रखना था।

योजना का एक प्रमुख हिस्सा स्कूल के बुनियादी ढांचे का उन्नयन है, जिसमें विज्ञान प्रयोगशाला जैसी शैक्षिक सुविधाओं से लेकर स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधाएं जैसे पीने के पानी के नल और शौचालय शामिल हैं। अन्य ढांचागत घटकों का उद्देश्य भौतिक पहुंच में सुधार करना है, जैसे रैंप जोड़ना।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, शिक्षा मंत्रालय को 1,12,899 करोड़ रुपये का बजट आवंटन प्राप्त हुआ, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 13% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। विशेष रूप से, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 68,805 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ इस बजट का बड़ा हिस्सा हासिल किया, जो मंत्रालय के कुल व्यय का 61% है। यह आवंटन एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 16.5% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। इस बीच, उच्च शिक्षा विभाग को भी कुल 44,095 करोड़ रुपये का पर्याप्त

[6] *For more details see* https://prsindia.org/files/budget/budget_parliament/2023/DFG_2023-24_Analysis_Education.pdf

बजट आवंटन प्राप्त हुआ, जो मंत्रालय के कुल व्यय का 39% है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 8% की वृद्धि दर्शाता है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि शिक्षा मंत्रालय के लिए बजट आवंटन की प्रवृत्ति में 2013-14 के बाद से 4.7% की वार्षिक औसत दर के साथ लगातार वृद्धि देखी गई है। हालाँकि, 2020-21 और 2021-22 में व्यय में अस्थायी गिरावट आई, जिसका कारण संभवतः COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियाँ थीं।

स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख योजनाओं में से एक,समग्र शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसमें विज्ञान प्रयोगशालाओं जैसी शैक्षिक सुविधाओं के साथ-साथ पीने के पानी के नल और सुलभ शौचालय सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, भौतिक पहुंच में सुधार के उपाय, जैसे रैंप जोड़ना, इस पहल का एक अभिन्न अंग हैं।

13 परिणाम एवं संस्तुतियां (Findings and Recommendations)

- **सुगम्यता की जानकारी एवं समझ की कमी-:** जिले के शैक्षिक हित धारकों एवं विकलांग बच्चों के परिजनों में 'सुगम्य भारत अभियान' में अंकित सुगम्य शिक्षा के गाइडलाइन की समग्र जानकारी और समझ की कमी प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई है| शोध के दौरान 60 फीसदी से अधिक प्रतिभागियों को सुगम्य भारत अभियान के बारे में मूलभूत जानकारियां नहीं थीं| लगभग 90 फीसदी से ज्यादा प्रतिभागियों को RPwD एक्ट में अंकित सुगम्यता के अधिकार के बारे में नहीं पता था| सुगम्यता की जानकारी न होना एक अहम चुनौती है|

  जिसके लिए संस्तुति है कि सभी हित धारकों की सुगम्यता एवं उससे जुडी गाइड लाइन पर नियमित "क्षमता संवर्धन" प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि सभी हित धारकों की सुगम्यता को लेकर बेहतर समझ बन सके|

- **<u>सुगम्यता के डेटा रिपोर्टिंग में विभिन्न पहलुओं की कमी -:</u>** जिले के UDISE पोर्टल के अनुसार जिले के 70 फीसदी से अधिक स्कूलों में रैम्प हैं, लेकिन चुनौती यह है कि इनमें से 80 फीसदी से अधिक रैम्प विकलांग बच्चों के लिए 'युनिवर्सल डिजाइन' के मानकों के अनुरूप नहीं हैं. अधिकतर रैम्प की लम्बाई उनकी ऊँचाई के अनुरूप नहीं है और साथ ही रैम्प पर सहयोग के लिए हेंड-रेल्स नहीं लगे हैं.इसके साथ चुनौती यह भी है कि सुगम्यता के नाम पर सिर्फ एक रैम्प होना ही एकमात्र मानक मान लिया जा रहा है. उसके अलावा मुलभुत सुविधाओ जैसे पीने के पानी के साधन की सुगम्यता, सुगम्य टॉयलेट और सुगम्य कक्षाओं जैसे अन्य पहलुओं पर ण तो बात होती है और न ही डेटा उपलब्ध है

  हमारी संस्तुति है कि स्कूलों के संरंचानात्मक ढांचे को सुगम्य बनाने हेतु एक जिला स्तरीय एक्सपर्ट कमिटी का गठन कर कुछ सेम्पल स्कूलों की 'सुगम्यता की जाँच' (Accessibility Audit) करवाई जाए और उसके आधार पर जिले के स्कूलों के लिए एक 'सुगम्य स्कूल' की एक फोकस्ड गाइड लाइन तैयार की जाए, जिसके अनुसार ही सभी स्कूलों में सुगम्यता सुनिश्चित की जा सके. साथ ही सुगम्यता की जाँच हेतु

प्रधानाचार्यों को भी प्रशिक्षण देकर उनका क्षमता संवर्धन किया जाना अत्यंत आवश्यक है.

- **<u>सुगम्यता हेतु सरंचना निर्माण में फंड की अस्पष्टता-:</u>** स्कूलों के प्रबंधन को जानकारी के उपरांत स्कूल में सुगम्यता लाने के लिए फंड की उपलब्धता एक अहम चुनौती है. स्कूल प्रधानाचार्यों और अध्यापकों ने बताया कि स्कूलों की सरंचना में सुगम्यता हेतु परिवर्तन करने हेतु 'फंड' अलग से उपलब्ध नहीं है, बल्कि ये सुझाया जाता है कि प्रधानाचार्य के पास आने वाले वार्षिक फंड में से बनाया जा सकता है या स्कूल के दूसरे कार्यों के फंड से लेकर कार्य किया जा सकता है| शोध के दौरान यह सामने आया कि दूसरे मद से फंड लेने में प्रधानाचार्य झिझकते हैं और फंसना नहीं चाहते| अलग से फंड उपलब्ध न करवाना सुगम्यता की सरंचना के निर्माण को जोखिम भरा और स्वेच्छिक भी बना देता है|

  अतः संस्तुति की जाती है कि स्कूलों की सुगम्यता के लिए अलग एवं स्पष्ट फंड की उपलब्धता कराई जाए और स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी देकर एक समय सीमा में सुगम्यता हेतु जरुरी कार्यों को पूर्ण करवाया जाए|

- **<u>शैक्षिक हितधारकों में कन्वर्जेन्स एवं प्राथमिकता की कमी -:</u>** जिले में कार्यरत शैक्षिक हितधारकों, सरकारी शिक्षा विभाग, स्कूल प्रबंधन, विकलांग कल्याण विभाग सहित जिले के अन्य सहयोगी हित धारकों में सुगम्यता हेतु सक्रियता की कमी देखी गयी है| विकलांग कल्याण समिति की बैठक की कार्यवृत्त के पिछले वर्षों के रिकॉर्ड के अनुसार इससे पूर्व किसी भी बैठक में स्कूलों में सुगम्यता विषय पर चर्चा नहीं की गयी थी| शिक्षा विभाग की पूर्व बैठकों के कार्यवृतों के अवलोकन कर ज्ञात हुआ कि पूर्व में सुगम्यता विषय पर बातचीत तो हुई है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया| सुगम्यता हेतु विभागों की सक्रियता की बात करें तो जिले के शिक्षा विभाग के साथ साथ विकलांग कल्याण विभाग में भी सुगम्य शौचालय एवं जलपान के साधन सुगम्य नहीं हैं| साथ ही दोनों विभागों में रैम्प के नाम पर मानकों के विपरीत सिर्फ एक स्लिप का निर्माण कराया गया है| इससे स्पष्ट है कि सुगम्यता को लेकर विभागों की सक्रियता

एवं प्राथमिकता न्यूनतम स्तर पर है| यहाँ तक कि सुगम्य भारत अभियान को लेकर जिले में हुई किसी भी बैठक का रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ|

संस्तुति है कि सुगम्यता हेतु एक समिति का गठन किया जाए जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी के नेतृत्व में हो और जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, जिले के शिक्षा से संबंधित सभी अधिकारी, परिवहन से जुड़े अधिकारी, भवन निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारी, नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा से संबंधित अधिकारीयों सहित सुगम्यता पर कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाए| इस समिति की नियमित मासिक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जाए, साथ ही इस बैठक में एक निर्धारित प्रारूप में सभी विभागों द्वारा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए

- **<u>विकलांग बच्चों के परिजनों की स्कूल प्रबंधन समिति में भागीदारी-:</u>** शोध के दौरान यह सामने आया कि विकलांग बच्चों के परिजनों को स्कूल प्रबंधन के साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है| 90 फीसदी से अधिक परिजनों ने यह स्वीकार किया कि स्कूल प्रबंधन का व्यवहार उनके प्रति संवेदनशील नहीं रहा, साथ ही विकलांग बच्चो के लिए परिजनों के सुझावों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती| उदहारण के तौर पर शोध में शमी एक विकलांग बच्ची बेबी के परिजनों को स्कूल प्रबंधन के साथ बहुत जूझना पड़ा| बेबी के परिजन बेबी को रोज स्कूल पहुंचाते थे लेकिन उसकी कक्षाएं प्रथम तल पर होने के कारण उसे पीठ पर लादकर कक्षा में ले जाना पड़ता था, जो परिजनों एवं विकलांग बच्ची बेबी दोनों के लिए शर्म से भरा हुआ था| क्योंकि स्कूल में न तो लिफ्ट थी और न ही रैम्प उपलब्ध थी| बेबी की माँ ने स्कूल प्रबंधन से कई बार गुहार की कि बेबी की कक्षाओं को ग्राउंड फ्लोर पर कर दी जाएँ, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने बेबी को होने वाली समस्याओं का जिम्मेदार खुद बेबी और उसके परिजनों को ही ठहराया| और उसकी कक्षाएं धरातल पर नहीं कीं, जिससे अंततः बेबी को स्कूल छोड़ना पड़ा|

इस शोध से सामने आई इस चुनौती हेतु संस्तुति है, कि स्कूलों में सुगम्यता के साथ समावेशी वातावरण बनाने के लिए विकलांग बच्चों एवं उनके परिजनों की निर्णय लेने में भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है| स्कूल को विकलांग बच्चों के लिए सुगम्य बनाने के लिए स्कूल की प्रबंधन समिति में विकलांग बच्चों के परिजनों को भी सदस्य बनाया जाए तो उनकी स्कूल के प्रमुख निर्णयों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है, जिससे स्कूल की सुगम्यता पर भी प्राथमिकता से कार्य हो सकेगा|

सलंग्नक

संलग्नक 1:- सर्वे की प्रश्नावली - **Questionnaire**

संलग्नक 2:- विद्यालय की आधारभूत संरचनाओं में विकलांग छात्र छात्राओं के लिए सुगम्यता की स्थिति की जानकारी हेतु साक्षात्कार के प्रमुख बिंदु Interview Pointers

संलग्नक 3:- उत्तरदाताओं की सहमति: Consent and Release Form

14 सन्दर्भ सूची

1. World Report on Disability by WHO and the World Bank 2011
2. Census of India, 2011
3. NSSO Report on Disability
4. 'People with Disabilities in India ; From commitments to outcomes' The World Bank, July 2009, human development unit south asia region.
5. Government of Uttar Pradesh. (n.d.). About the District. Etah District Official Website https://etah.nic.in/about-district/
6. https://www.indiatvnews.com/education/news-list-of-educationally-backward-districts-in-india-education-ministry-up-bihar-mp-rajasthan-725987
7. Disabled Persons in India : A Statistical profile 2016, Ministry of Statistics and Program Implementations, Govt of India
8. District Handbook
9. Making Schools Accessible to Childrens with Disabilities ; UNICEF 2016
10. UDISE DATA of Uttar Pradesh and Etah - https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/reportDashboard/sReport
11. https://www.hindustantimes.com/cities/lucknow-news/disabledfriendly-toilets-in-87-610-u-p-govt-primary-schools-soon-101653754671098.html
12. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://prsindia.org/files/budget/budget_parliament/2023/DFG_MHA_2023-24.pdf
13. (https://www.cbgaindia.org/wp-content/uploads/2018/12/Budgeting-for-School-Education-in-उत्तर-प्रदेश.

शोध के दौरान लिए गए छाया चित्र एवं मीडिया में प्रकाशित न्यूज़

दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाओं का अभाव

जागरण संवाददाता, एटा : जिले में अभी भी दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा की सुगम्यता सहज नहीं है। स्कूल चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप और शौचालय उपलब्ध नहीं हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ इसी तरह की समस्या को अपने शोध के द्वारा दिव्यांग कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने यह शोध पत्र जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को दिया है।

यहां बता दें कि अमित कुमार यादव युवा दिव्यांग कार्यकर्ता के रूप में काफी समय से दिव्यांगजनों के लिए स्कूलों की सुगम्यता और सुगम्य शिक्षा संबंधी विषय पर शोध कर रहे हैं। शोध के दौरान उन्होंने जिले के अलग-अलग हिस्सों में कई गतिविधियां की, स्कूलों में विजिट किया और संबंधित हितधारकों के साक्षात्कार किए। इसके जरिए उन्होंने दिव्यांगजनों द्वारा अनुभव की हुई तमाम चुनौतियों के बारे में समझा। वह नेशनल सेंटर फार प्रमोशन आफ एंप्लायमेंट फार डिसेबल्ड पीपल नामक संस्था द्वारा संचालित जावेद आबिदी फेलोशिप में एक फेलो के रूप में पिछले दो वर्षों से एटा में कार्य कर रहे हैं।

जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी अजीत कुमार को दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित शोधपत्र देते दिव्यांग कार्यकर्ता अमित कुमार • जागरण

इस फेलोशिप के जरिए वो दिव्यांगो के लिए स्कूलों की सुगम्यता और सुगम्य शिक्षा विषय पर शोध कार्य करते हुए उसके निष्कर्षों और समाधानों को खोजने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी पर आधारित उन्होंने अपनी शोध रिपोर्ट के परिणामों से पाई गई संस्तुतियों को जिले के विकलांग कल्याण अधिकारी अजीत कुमार को सौंपा और आगे उनसे संबंधित कार्य योजनाओं के बारे में सुझाव दिए। हाल ही में अमित संस्था द्वारा आयोजित कार्यशाला में यूनेस्को नई दिल्ली में भी अपना शोध प्रस्तुत कर चुके हैं।

दिव्यांग परीक्षार्थी को नहीं मिला लेखक, परेशान

एटा, हिन्दुस्तान संवाद। जीआईसी में 10वीं का दिव्यांग छात्र ईशू गुप्ता परीक्षा दे रहा है। उसका एक हाथ बेहद कमजोर है। उसकी वजह से उसको परीक्षा देने में परेशानी हो रही है। छात्र ने डीआईओएस से लेखक उपलब्ध कराने को प्रार्थना पत्र दिया।

डीआईओएस को दिये प्रार्थना पत्र में जावेद आबिद फैलो के अमित कुमार यादव ने बताया कि दिव्यांग ईशू गुप्ता राजकीय इंटर कालेज में 10वीं का छात्र है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। दिव्यांगता के कारण उसका हाथ बेहद कमजोर है। उससे वह सामान्य गति से लिखने में असमर्थ है। ईशू इस वर्ष हाईस्कूल की परीक्षा दे रहा है। उसने दो पेपर बिना किसी लेखक की सहायता से दिये हैं। यह किसी भी दिव्यांग छात्र के शैक्षिक अधिकार का हनन है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग छात्र को लेखक प्रदान करना, अतिरिक्त समय प्रदान करना विधि संगत है। उसकी 25 फरवरी को अगली परीक्षा है। अभी तक उसको लेखक प्रदान नहीं किया गया है।

दिव्यांग बच्चों के साथ मनाई गई दीपावली

एटा, हिन्दुस्तान संवाद। दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट अमित यादव ने गांव अगरपुर में दिव्यांग बच्चों के साथ दीपावली मनाई। उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के साथ शिक्षा से जोड़ने के बारे में बताया।

जावेद आबिदी फेलो अमित कुमार यादव ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना आवश्यक है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, जिससे वह समाज की मुख्य धारा में लाए जा सकते हैं। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीपीईडीपी के सहयोग से सुगम्य स्कूल अभियान जिले में चलाया जा रहा है। दीपावली पर बच्चों से मिलने का उद्देश्य यही रहा उन्हें भी समाज मे समानता की नजर से देखा जाए, त्योहारों के जश्न मे शामिल किया जाए। अगरपुर में के एक ही परिवार के तीन नेत्रबाधित बच्चों सहित अन्य दिव्यांगों की टीम ने मुलाकात कर समस्याएं सुनीं। समर्थ संस्था सचिव विनय कुमार ने बताया कि गांव में कई बच्चों के दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बने।

अमर उजाला | **एटा-अलीगंज-जलेसर- मिरहची** | amarujala.com

आठवीं के बाद 98.66 फीसदी दिव्यांग बच्चों की छूटी पढ़ाई

अमर उजाला एक्सक्लूसिव

माध्यमिक विद्यालयों में नहीं सहूलियत संबंधी संसाधन

एनसीपीईडीपी के शोध में सामने आई विद्यालयों की स्थिति

राजीव वर्मा

एटा। दिव्यांगजनों की सुविधा और उनकी शिक्षा पर विशेष जोर देने की बात की जाती है। तमाम संसाधन उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, लेकिन धरातल पर स्थिति उलट है। जिले में आठवीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 98.66 फीसदी बच्चों की पढ़ाई छूट गई।

माध्यमिक विद्यालयों में संसाधनों-सुविधाओं की कमी के चलते ऐसा हो रहा है।

नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एंप्लॉयमेंट फॉर डिसेबिल्ड प्यूप्ल(एनसीपीईडीपी) की ओर से जावेद आबीदी फैलोशिप प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है।

इसके तहत जिले में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और इसमें आड़े आ रही समस्याओं पर फैलो अमित कुमार यादव ने शोध किया। जिसके बाद अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी है। इसमें बताया गया है कि जिले के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में 3117 दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं। जबकि इसके बाद की शिक्षा की बुरी स्थिति है।

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में कुल 42 दिव्यांग छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं, जो कुल संख्या का 1.34 फीसदी ही है। ऐसे में उच्च प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा के बीच काफी बड़ा अंतर है।

रिपोर्ट के मुताबिक यूं तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी दिव्यांग छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए अभी पर्याप्त संसाधन नहीं हैं लेकिन वहां प्रयास किया जा रहा है। जबकि माध्यमिक स्तर के अधिकांश विद्यालयों में संसाधन हैं ही नहीं। जिसके चलते बच्चों को शिक्षा छोड़नी पड़ती है।

इसके अलावा स्कूलों द्वारा दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए प्रयास भी नहीं किए जाते हैं। संवाद

स्कूलों की बेरुखी के चलते छोड़ी शिक्षा

शोधकर्ता अमित बताते हैं कि दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित करने की जगह हतोत्साहित करने का चलन बना हुआ है। खासतौर से निजी विद्यालय तो ऐसे बच्चों का प्रवेश लेने से ही कतराते हैं। शोध के दौरान कुछ ऐसे परिवारों से बात हुई जिन्होंने बताया कि निजी विद्यालय ने प्रवेश देने से मना कर दिया, बाद में सरकारी स्कूल में बच्चे को प्रवेश दिलाना पड़ा।

कुछ विद्यालयों में रैंप-शौचालय हैं। जहां नहीं हैं, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कार्य कराए जाएंगे। बेसिक विद्यालयों के संतृप्त होने के बाद मिशन कायाकल्प के तहत भी माध्यमिक विद्यालयों में कार्य कराए जाने की योजना है।
-मिथलेश कुमार, डीआईओएस

सुगम्या भारत अभियान को लेकर हुई कार्यशाला

दिव्यांग बच्चों को सुगम्य शिक्षा पर दिया जोर

संकुल भवन स्थित सभागार में दिव्यांग बच्चों को सुगम शिक्षा विषय पर आधारित कार्यशाला को संबोधित करते बीएसए संजय सिंह

स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते जिला समन्वयक संजय मिश्रा उनके दाएं बीएसए संजय सिंह व दिव्यांग कार्यकर्ता अमित यादव एडवोकेट

एटा। (दै. जिला टाइम्स ब्यूरो)
दिव्यांग बच्चों की स्कूलों में सुगज्य पहुंच विषय पर आधारित जागरूकता के लिए बेसिक शिक्षा कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई। सुगज्या भारत अभियान के तहत स्कूलों की आधारभूत संरचना के लिए आने वाली गाइडलाइन के बारे में जागरूकता के साथ सभी से सहयोग को आगे आने का आह्वान किया गया।

सेमिनार संयोजक अमित यादव ने विस्तार से योजना और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बेहतर किए जाने के संबंध में बताया गया। साथ ही विषय से संबंधित आने वाली चुनौतियों को एक साथ मिलकर कैसे कम किया जाए उस पर बात की गई।

बीएसए संजय सिंह ने बताया कि विकलांग बच्चों की सुगज्य शिक्षा तक पहुंच के लिए हम सभी को जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। हम उस पर कार्य कर रहे हैं तथा पहले से ज्यादा अब सुधार भी होने लगा है।

कार्यशाला का आयोजन एनसीपीईडीपी द्वारा जावेद आबिदी फेलो के रूप में कार्यरत अमित कुमार यादव ने किया। इस कार्यशाला में बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा संजय मिश्रा, सामाजिक कार्य करने वाली संस्था स्टेप (समर्थ) से आशू यादव, भाईचारा एकता समिति के सचिव शादाब अब्बास, नेहरू युवा केंद्र से प्रेरणा यादव, क्रिएटिव एजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष योगेश सक्सेना, गौरव पांडे, लोकेंद्र कठेरिया, विकलांग छात्रा रश्मि, प्रतिज्ञा अन्य विकलांग बच्चे, उनके माता पिता, विशेष शिक्षक आदि शामिल रहे।

www.ncpedp.org 011 2622 1276 @ncpedp_india